अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	1
अध्याय-1 दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं रणनीति	2-3
अध्याय 2. प्राथमिकता के क्षेत्र	4-6
अध्याय 3. वित्तीय अनुदान एवं रियायतें	7-13
अध्याय 4. मानव संसाधन विकास	14
अध्याय 5. अनुसंधान एवं गुणवत्ता विकास	15
अध्याय 6. बाजार विकास	16
अध्याय 7. नीति का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण	17

प्रस्तावना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मानव उद्यम के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्र, जिसमें खाद्यान्न, बागवानी फसलें, दुग्ध एवं माँस प्रमुख हैं, के उत्पादन का देश के कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग दो तिहाई भाग कृषि पर आधारित है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का 25 से 30 प्रतिशत योगदान है।

2. भारतीय आहार में उच्च मूल्य के उत्पाद जैसे फल, शाकभाजियॉं, दुग्ध, मांस तथा अन्य फार्म एवं शीघ्र नष्ट होने (पेरीशेबुल उत्पाद) वाले उत्पादों के उत्पादन एवं उपभोग में वृद्धि हो रही है जबकि पूर्व में यह खाद्यान्नों तक ही सीमित था। बढ़ते शहरीकरण, जनसंख्या में बढ़ोत्तरी, छोटे होते परिवार, पारिवारिक आय में वृद्धि तथा दैनन्दिनी जीवन में व्यस्तता के कारण बदलती आहार प्रवृत्ति के फलस्वरूप प्रसंस्कृत उत्पादों की मांग में निरंतर वृद्धि दृष्टिगत् हुई है।

3. उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास, इस क्षेत्र में पूंजी निवेश, रोजगार सृजन एवं समस्त स्टेक होल्डर्स की आय में वृद्वि की असीम सम्भावनायें विद्यमान हैं। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना एवं विकास के निम्नांकित मुख्य आधार उपलब्ध हैं :

(i) प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे उत्पादों की वर्ष भर प्रचुरता में उपलब्धता : खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, धान, मक्का व गन्ना, बागवानी फसलों में आलू, आम, अमरूद आँवला, मटर, टमाटर लतावर्गीय एवं अन्य सब्जियाँ, मशरूम, पशुधन, कुक्कुट तथा मत्स्य उपक्षेत्रों में दुग्ध, माँस, अण्डे तथा शहद प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

इसमें अधिकांश उत्पाद पेरीशेबल प्रकृति के होते हैं, अतः सरप्लस उत्पाद के प्रसंस्करण के उपयोग होने से तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन के फलस्वरूप सम्भावित क्षतियों/क्षरण में कमी की जा सकती है। स्थानीय स्तर पर कच्चा माल उपलब्ध होने से परिवहन मूल्य में बचत होती है और बेहतर बैकवर्ड लिंकेज उपलब्ध रहता है। यही नहीं प्रदेश की अनुकूल कृषि जलवायु के अनुकूलतम उपयोग से प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे उत्पादों की उपलब्धता में यथेष्ट वृद्धि भी सम्भावित है।

(ii) बाजार की उपलब्धता : प्रदेश में ही 20 करोड़ की आबादी का बाजार उपलब्ध है। आय में वृद्धि के फलस्वरूप एक ऐसे वर्ग का अभ्युदय हुआ है जिसकी आहार प्रवृत्ति परिवर्तित हुयी है। यह वर्ग उच्च गुणवत्ता के पोषक, साफ सुथरे एवं सुरक्षित प्रसंस्कृत उत्पादों का बड़ा उपभोक्ता है। प्रदेश के बाहर विपणन एवं निर्यात के माध्यम से बाजार विस्तार करने के अवसर हैं।

(iii) मानव संसाधन की उपलब्धता : प्रदेश में अकुशल, अर्धकुशल एवं कुशल कर्मी अपेक्षाकृत कम मूल्य पर उपलब्ध हैं। उद्योगों की विशेष आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की विशिष्ट दक्षता के मानवशक्ति की उपलब्धता हेतु विशेष प्रशिक्षण देकर बढ़ी हुयी माँग के अनुसार उपलब्ध कराया जा सकता है।

(iv) अपेक्षाकृत कम उत्पादन लागत : प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के लिए कच्चा माल की उपलब्धता हेतु पारम्परिक उत्पादक क्षेत्र उपलब्ध हैं जिनमें अनुकूल एवं उपयुक्त खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना कराकर अपेक्षाकृत कम उत्पादन लागत पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद तैयार कराये जाने के अवसर विद्यमान हैं।

(v) प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है।

4. प्रदेश सरकार औद्योगिकीकरण में अधिकाधिक निवेश करने एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए आर्थिक विकास करने के लिए कटिबद्ध है। इस हेतु उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 प्रख्यापित की गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विशिष्ट महत्व को रेखांकित करते हुए समस्त स्टेक होल्डर्स को यथोचित लाभ प्रदान करने के लिए प्रख्यापित की जा रही है।

@BCL@00070AF5

अध्याय-1 दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं रणनीति

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के द्वारा प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पूँजी निवेश एवं तकनीकी उन्नयन का प्रोत्साहन, मानव संसाधन विकास, बाजार विकास, अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण तथा अनुदान एवं रियायतें आदि कार्यक्रम सन्निहित हैं।

1. दृष्टिकोण (विजन)

उत्तर प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कराते हुए प्रदेश का संतुलित आर्थिक विकास कराना तथा समस्त स्टेक होल्डर्स को अधिकाधिक लाभ दिलाना।

2. उद्देश्य

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति किया जाना प्रस्तावित है :

1. प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
2. प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों को उनकी आय का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाना।
3. प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे उत्पादों के क्षरण में कमी करना।
4. प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे उत्पादों का मूल्य संवर्द्धन करते हुए पोषक एवं उच्च गुणवत्ता के साफ-सुथरे प्रसंस्कृत उत्पादों को उपभोक्ताओं तक उपलब्ध कराना।
5. उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य पर विविध प्रसंस्कृत उत्पाद सुलभ कराना।
6. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के निवेशकों को उनके निवेश का उचित लाभ दिलाना।
7. खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर सृजित कराना।
8. इस क्षेत्र में उपलब्ध मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल में वृद्धि करना तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानव शक्ति उपलब्ध कराना।

3. रणनीति

- अवस्थापना सुविधाओं का विकास।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना
- पूँजी निवेश प्रोत्साहन ।
- तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन।
- वित्तीय अनुदान एवं रियायतें।
- बाजार विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन।
- मानव संसाधन विकास।
- अन्य प्रोत्साहनात्मक सुविधायें
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के व्यापक क्षेत्र को देखते हुए आवश्यक प्रबन्धकीय एवं तकनीकी दक्षता को नवीन उद्यमियों को सुलभ कराने के लिए मुख्यालय स्तर पर 'प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटेशन सेन्टर' (पी.डी.एफ.सी.) का गठन किया जाना। खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के समन्वित विकास के लिए विजन डाक्यूमेंट तैयार किया जाना।

@BCL@00070AF5

4. अवधि

यह नीति बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (31 मार्च, 2017) तक प्रभावी रहेगी।

5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निम्नांकित से संबंधित उद्योग सम्मिलित होंगेः

(i) फल एवं सब्जी, पुष्प, मसालें, शहद, औषधीय एवं संगन्ध फसलें एवं मशरूम प्रसंस्करण।

(ii) खाद्यान्न मिलिंग प्रसंस्करण (खाद्यान्न, दलहन और तिलहन)।

(iii) कुछ कृषि उत्पाद जैसे-मिल्क पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, कन्डेन्स्ड मिल्क, घी तथा अन्य डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और अण्डा, माँस तथा माँस उत्पाद का प्रसंस्करण।

(iv) मछली प्रसंस्करण।

(v) डबलरोटी, तिलहन, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण और चॉकलेट उत्पादन समेत), माल्टेड एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य, वीनिंग फूड और एक्सट्रैक्टेड खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण।

(vi) बीयर।

(vii) गैर शीरा आधारित अल्कोहल पेय।

(viii) वातित जल/शीतल पेय

(ix) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग।

@BCL@00070AF5

अध्याय 2. प्राथमिकता के क्षेत्र

2.1 अवस्थापना सुविधाओं का विकास

प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए गुणवत्तापरक अवस्थापना सुविधाओं का होना नितान्त आवश्यक है। इससे उद्योगों को कम लागत में बिना किसी अवरोध के स्थापित एवं संचालित किया जा सकता है। यह सुविधाएं व्यवसाय एवं उद्योग की वृद्धि में सहायक होंगी, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगी तथा प्रदेश में पूँजी निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के सृजन व सामाजिक ढांचे के विकास में सहायक सिद्ध होंगी।

उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए प्रस्तावित प्राविधान - भूमि की उपलब्धता, सड़क, रेल तथा वायु परिवहन, गैस पाइप लाइन, ऊर्जा, जलापूर्ति एवं जल निकास, दूरसंचार, राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण परिक्षेत्र, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, विशेष क्षेत्र एवं विशेष औद्योगिक पार्क, संकुल विकास, वाणिज्यिक संसाधन तथा श्रमिकों हेतु चिकित्सा सुविधा आदि अवस्थापना सुविधाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए भी उपलब्ध होंगी।

फूड प्रोसेसिंग जोन का चिन्हांकन

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता एवं अनुकूलता के आधार पर फूड प्रोसेसिंग जोन का चिन्हांकन किया जायेगा। जिनमें केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। इन क्षेत्रों में अनुकूल खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दी जायेगी। इन क्षेत्रों में फूड पार्क, मेगा फूड पार्क एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

मेगा फूड पार्क एवं कोल्ड चेन सुविधा का विकास

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित मेगा फूड पार्कों तथा कोल्ड चेन श्रृंखला आधारित अवस्थापना सुविधाओं को प्रदेश में उपयुक्त क्षेत्रों में स्थापित कराये जाने पर बल दिया जायेगा।

2.2 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना

(1) राज्य सरकार प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सजगता से प्रयास करेगी। प्रदेश में उद्यमिता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन किया जायेगा। निवेशकों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए उपयुक्त क्षेत्रों के साथ-साथ प्रचलित योजनाओं एवं इस नीति के अन्तर्गत अनुमन्य की जा रही अनुदान एवं रियायतें तत्परता एवं समयबद्धता से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा। नए निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेशकों को निवेश सम्बन्धी सूचनायें उपलब्ध कराने तथा उनकी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु व्यापक प्रबन्ध किये जायेंगे।

(2) उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में औद्योगिक वातावरण में सुधार के अन्तर्गत नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण के अन्तर्गत श्रम विभाग, ऊर्जा विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग तथा अन्य विभागों से सम्बन्धित प्राविधान इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए भी सुलभ होंगे। औद्योगिक सुरक्षा एवं निवेश सहायता व्यवस्था के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत वर्णित प्राविधान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए भी

@BCL@00070AF5

सुलभ होंगे।

(3) उद्यमियों के कार्य व समस्याओं को निस्तारित कराये जाने हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण शाखा के मण्डल स्तर पर तैनात अधिकारी - प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र/खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी कार्यालयों का स्थानीय स्तर पर सुदढ़ीकरण किया जायेगा।

(4) ई-गवर्नेंस के अन्तर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के खाद्य प्रसंस्करण शाखा के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण को सुदृढ़ किया जायेगा ताकि इण्टरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान सरलता से हो सके और उद्यमियों को समस्त जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध करायी जा सके। यह केन्द्र फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज को सुदृढ़ करने के लिए सेतु का कार्य करेंगे। इन सभी कार्यालयों में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर से सम्बन्धित विविध जानकारियाँ उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था होगी।

(5) अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में वर्णित उद्योग बन्धु को सुदृढ़ करने तथा उनकी भूमिका के सम्बन्ध में वर्णित सभी बिन्दु प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए भी सुलभ होंगे।

प्रक्रियाओं का सरलीकरण

(1) राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन किया जायेगा। नए निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेशकों को निवेश सम्बन्धी सूचनायें उपलब्ध कराने के साथ-साथ अनुदान एवं रियायतों से अवगत कराते हुए उनकी सहायता की जायेगी एवं त्वरित समस्या समाधान हेतु व्यापक प्रबन्ध किये जायेंगे।

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 में इंगित श्रम, ऊर्जा, पर्यावरण, वाणिज्य कर, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित नियमों एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण का लाभ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए भी सुलभ कराया जायेगा।

(2) नीति के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं को एकीकृत कर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से लागू कराया जायेगा, जो अन्य सम्बन्धित विभागों के लिए बाध्यकारी होगा। खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न आयामों पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं को भी समेकित करते हुए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश के समन्वय से संचालित कराया जायेगा।

(3) निवेशकों की सुविधा के लिए खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उद्योग बन्धु की तर्ज पर एकल विण्डो सिस्टम विकसित किया जायेगा तथा मण्डल एवं जनपद स्तर पर भी निवेशकों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रदान कराने की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही उद्योग बन्धु में स्थापित एकल विण्डो सिस्टम में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को भी समावेशित किया जायेगा।

2.3 i`th fuos'k izkRlkgu

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा इस नीति के अन्तर्गत अनुमन्य रियायतें एवं अनुदान के माध्यम से पूँजी निवेश आकर्षित किया जायेगा।

2.4 rduhdh mUu;u izkRlkgu

प्रदेश में पूर्व से स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को तकनीकी आधुनिकीकरण/उन्नयन एवं उपलब्ध क्षमता को विस्तारित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.5 foRrh; vu|nku ,oa fj;k;rsa

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हेतु एवं उद्योगों के विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित कदम उठाये जायेंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार की रियायतें,

@BCL@00070AF5

वित्तीय सुविधायें एवं अनुदान उपलब्ध कराये जाएंगे।

इस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अन्तर्गत पूंजीगत् निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, स्टैम्प ड्यूटी से छूट, मण्डी शुल्क एवं विकास सैस से छूट, वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित छूट, ऊर्जा सम्बन्धी वित्तीय प्राविधान, अनुसंधान एवं गुणवत्ता विकास प्राविधान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राविधान, बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन एवं मानव संसाधन विकास के प्राविधान किये गये हैं। इन कार्यक्रमों में प्रस्तावित रियायतों एवं अनुदान का विवरण अलग से दिया गया है।

2.6 ckt kj fodkl

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में **बाजार विकास** को आकर्षित करने हेतु एवं उद्योगों के विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित कदम उठाये जायेंगे, किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाने तथा प्रसंस्करणकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसानों व उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) के माध्यम से पैरिशेबल बागवानी फसलों के विपणन को पंजीकृत प्रारम्भिक औद्यानिक सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जायेगा।

इस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अन्तर्गत **बैकवर्ड-फारवर्ड लिंकेज, ब्राण्ड विकास प्रोत्साहन, वैश्वीय प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण, ई-गर्वेनेन्स,** खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर से सम्बन्धित आधारभूत सूचनाओं की सुलभता हेतु ई-पोर्टल प्रारम्भ करेगी।

2.7 ekuo lalk/ku fodkl

रोजगारपरक खाद्य प्रसंस्करण आधारित विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तर एवं प्रदेश के बाहर स्थित भारत सरकार के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से कराया जायेगा। यह प्रशिक्षण राज्य सरकार के कार्मिकों व नव उद्यमियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध होगी।

खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय के त्वरित विकास के सामने कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता एक चुनौती के रूप में उभर रही है। राज्य सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों में खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा कृषि विपणन के विषय शुरू करने को प्रोत्साहित करेगी। निजी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय में शैक्षिक व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए तकनीकी संस्थाओं को राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन से अनुमन्य सहायता प्रदान की जायेगी।

2.8 अनुसंधान एवं गुणवत्ता विकास

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में प्रतिष्ठित अनुसंधान केन्द्रों को अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं हेतु सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के संस्थानों को सहयोग किया जायेगा।

@BCL@00070AF5

अध्याय 3. वित्तीय अनुदान एवं रियायतें

3.1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधायें :

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाईयों को निम्नांकित रियायतें एवं अनुदान सुविधायें अनुमन्य होंगी :-

3.2. पूंजीगत निवेश अनुदान :

(1) **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन** के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में खाद्य प्रसंस्करण आधारित इकाईयों की स्थापना, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/उन्नयन पर प्लान्ट, मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 50 लाख की सीमा तक अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) **प्रदेश में कोल्ड चेन, मूल्य संवर्द्धन तथा प्रसंस्करण अवसंरचना सुविधाओं का सृजन :** राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत फार्म गेट (उत्पादक) से उपभोक्ता तक समेकित एवं पूर्ण कोल्ड चेन एवं प्रसंस्करण अवस्थापना सुविधाएं स्थापित करने हेतु गैर बागवानी उत्पादों से सम्बन्धित समेकित शीत श्रृंखला एवं प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना हेतु प्लान्ट, मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 10 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी। व्यक्तिगत उद्यमी, पार्टनरशिप फर्म, पंजीकृत समितियां, सहकारिताएं, कम्पनी तथा कार्पोरेशन पात्र संस्थाएं मानी जायेंगी और वे योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

3.3. ब्याज अनुदान :

(1) **उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012** के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को उनके द्वारा प्लाण्ट, मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य पर होने वाले व्यय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 7 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 5 वर्ष हेतु, प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू. 50 लाख होगी।

(2) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 में प्राविधानित अवस्थापना ब्याज उपादान योजना**- प्रदेश में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा-सड़क, सीवर, जल-निकासी, पावर लाईन, ट्रान्सफार्मर एवं पॉवर फीडर की स्थापना के विकास हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति इकाई कुल रू. 1 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3.4. स्टैम्प डयूटी से छूट :

(1) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012** में प्राविधानित राज्य तथा केन्द्र सरकार अथवा उसके स्वामित्वाधीन निगम, परिषद्, कम्पनी, संस्था से भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट के क्रय या पट्टे पर लेने पर सभी नई औद्योगिक इकाईयों अथवा विस्तार, विविधीकरण करने वाली इकाईयों को स्टैम्प शुल्क से निम्न प्रकार छूट उपलब्ध कराई जायेगी :

(क) पूरे प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों, जैव प्रौद्योगिकी इकाईयों, बी.पी.ओ. काल सेन्टर्स, एग्रो प्रोसोसिंग इकाइयों, फूड प्रोसोसिग इकाइयों, फूड पार्क, सौर ऊर्जा व वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की इकाईयों को स्टैम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

(ख) पूरे प्रदेश में निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) माध्यम के अलावा अवस्थापना सुविधाओं के विकास (यथा- सड़कों, पुलों, ओबरब्रिज, थोक बाजार, ट्रान्सशिपमेंट केन्द्र, एकीकृत ट्रान्सपोर्ट व व्यवसायिक केन्द्र, विद्युत उत्पादन, पारेषण व

@BCL@00070AF5

वितरण, जलापूर्ति, जल निकासी, प्रदर्शनी केन्द्र, वेयर हाऊस, कोल्ड स्टोरेज, एयरपोर्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्ट, रेलवे व्यवसायिक केन्द्र, कारगो हब, फायर स्टेशन, गैस बूस्टर व फीडर स्टेशन, एफ्लुऐंट ट्रीटमेंट प्लाण्ट की स्थापना) हेतु भूमि के क्रय पर स्टैम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

(2) निजी स्रोत से भूमि क्रय करने पर उपरोक्त प्रस्तर (1) में उल्लिखित प्रकार की इकाइयों को स्टैम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

(3) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012** में प्राविधानित निजी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र व औद्योगिक आस्थान के लिए विकासकर्ता को भूमि के क्रय करने के उपरान्त 3 वर्ष की समयावधि में विकास कर लेने तथा औद्योगिक क्षेत्र व औद्योगिक आस्थान में न्यूनतम 50 प्रतिशत भूमि की बिक्री हो जाने की दशा में स्टैम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012** में प्राविधानित पिकप, यू.पी.एफ.सी. या बैंक द्वारा बिक्री की जाने वाली अटैच की गयी बन्द इकाईयों के लिए सर्किल रेट के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विक्रय मूल्य पर स्टैम्प शुल्क देय होगा।

(5) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012** में प्राविधानित यदि किसी पेरेंट कंपनी द्वारा अपनी सब्सीडरी कंपनी, जिसमें पेरेंट कंपनी न्यूनतम 51 प्रतिशत की अंशधारक हो, को भूमि हस्तांतरित की जाती है तो अन्तरण पर सब्सीडरी कम्पनी को इस शर्त पर स्टैम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी कि सब्सीडरी कंपनी द्वारा तीन वर्ष के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाए।

3.5. मण्डी शुल्क एवं विकास सेस में छूट –

(1) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012** में प्राविधानित सभी नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ जिनमें प्लान्ट, मशीनरी व स्पेयर पार्ट्स में पूंजी निवेश रू. 2 करोड़ या अधिक हो, को उनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कच्चे माल के क्रय पर 5 वर्ष के लिए मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) **उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के अन्तर्गत** शीघ्र नष्टप्राय (पेरीशेबुल) कच्चे माल का उपयोग करने वाली खाद्य प्रसंस्करण की नई निर्यातक इकाईयों को प्लाण्ट, मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य में रू. 5 करोड़ या अधिक पूंजी निवेश करने पर 10 वर्ष तक तथा रू. 10 करोड़ या अधिक पूंजी निवेश करने पर 15 वर्ष के लिये मण्डी शुल्क व विकास सेस में छूट उपलब्ध करायी जायेगी।

3.6. वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित छूट :

(1) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012** में प्राविधानित पूर्वांचल, मध्यॉचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली समस्त नयी इकाइयों जिनमें स्थायी पूँजी निवेश रू. 5 करोड़ या अधिक हो एवं प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण, पशु-संपदा आधारित इकाइयों तथा सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों जिनमें स्थाई पूंजी निवेश रू. 5 करोड़ या अधिक हो, उनको प्रथम बिक्री की तिथि से 10 वर्ष तक उनके द्वारा जमा किये गये वैट व केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य अथवा वार्षिक विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि जो भी कम हो, **ब्याज मुक्त ऋण** के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 7 वर्ष बाद देय होगा।

(2) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012** में प्राविधानित विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों को भी उपरोक्त प्रस्तर 3.6 (1) की भाँति निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वैट व केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य धनराशि को **ब्याज मुक्त ऋण** के रूप में उपलब्ध कराये जाने की योजना बनाई जायेगी।

@BCL@00070AF5

(3) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012** में प्राविधानित कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री व पैकिंग सामग्री जिनका प्रयोग बिक्री हेतु वस्तुओं के निर्माण व पैकिंग में किया जाता है उनको अधिकाधिक अनुसूची-दो भाग-ग वस्तुओं की 4 प्रतिशत कर देयता की श्रेणी में जोड़कर इस अनुसूची को विस्तृत किया जायेगा।

(4) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012** में प्राविधानित निर्माताओं द्वारा एक्सपोर्ट हाउस के माध्यम से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा-5 की उप धारा (3) के अनुरूप निर्यात के अनुक्रम में (in the course of export) भारतवर्ष के बाहर निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट हाऊस को की गयी बिक्री के संबंध में निर्माताओं को इनपुट टैक्स का रिफण्ड / सेटऑफ की सुविधा अनुमन्य होगी।

(5) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012** में प्राविधानित प्रदेश से बाहर स्टॉक ट्रांसफर किये जाने की दशा में इनपुट टैक्स क्रेडिट से कटौती उतनी ही केन्द्रीय बिक्री कर की दर से की जायेगी जो दर वाणिज्य कर के फार्म-सी से अन्तर्प्रांतीय बिक्री करने पर लागू होती है।

3.7. खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को ऊर्जा सम्बन्धी वित्तीय प्राविधान :

(1) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012** में प्राविधानित उद्योग की स्थापना के प्रारम्भिक वर्षो में सामान्यतया अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नही हो पाता है। न्यूनतम विद्युत चार्जेज एवं न्यूनतम विद्युत मॉग से इकाई की तरल पूँजी विपरीत रूप से प्रभावित होती है। अतः प्रारम्भिक 5 वर्षो तक न्यूनतम मासिक विद्युत भार एवं न्यूनतम मॉग भार के स्थान पर इकाई द्वारा वास्तविक विद्युत उपभोग पर ही विद्युत शुल्क देय होगा।

(2) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012** में प्राविधानित इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में वर्तमान में उपलब्ध 10 वर्ष की छूट नई इकाईयों हेतु एवं 15 वर्ष की छूट पायनियर इकाईयों हेतु जारी रखी जायेगी।

(3) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012** में प्राविधानित कैप्टिव पावर प्लान्ट द्वारा उत्पादित स्वयं प्रयोग की जाने वाली विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से मुक्त रखा जायेगा।

3.8. अनुसंधान एवं गुणवत्ता विकास प्राविधान :

(1) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 में प्राविधानित औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना** - औद्योगिक अनुसंधान, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार एवं विकास के लिए औद्योगिक संगठनों, औद्योगिक इकाईयों के समूह द्वारा टेस्टिंग लैब, क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब एवं टूलरूम स्थापित करने हेतु प्लाण्ट, मशीनरी एवं इक्यूपमेन्ट पर किये जाने वाले व्यय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति लैब/टूलरूम कुल रु. 1 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2) **उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के अन्तर्गत** प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए निम्नांकित सुविधायें सुलभ करायी जायेंगी :-

(2.1) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं हेतु ग्राण्ट इन एड - राजकीय संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों/ ए.आई.सी.टी.ई. एप्रूव इन्टीट्यूशन को परियोजना लागत का 100 प्रतिशत अधिकतम रू.30 लाख प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम तीन वर्ष के लिए अनुदान दिया जायेगा ।

(2.2) निजी क्षेत्र के संस्थानों के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 15 लाख प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम तीन वर्ष के लिए अनुदान दिया जायेगा।

@BCL@00070AF5

(3) **उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के अन्तर्गत** प्रदेश में **खाद्य प्रसंस्करण** से सम्बन्धित प्रोटोकाल विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए निम्नांकित सुविधायें सुलभ करायी जायेंगी :-

(3.1) खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित प्रोटोकाल विकास परियोजनाओं हेतु ग्राण्ट इन एड - राजकीय संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों/ ए.आई.सी. टी.ई. एप्रूव इन्टीट्यूशन को परियोजना लागत का 100 प्रतिशत अधिकतम रू.10 लाख प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम तीन वर्ष के लिए अनुदान दिया जायेगा ।

(3.2) निजी क्षेत्र के संस्थानों के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू.5 लाख प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम तीन वर्ष के लिए अनुदान दिया जायेगा।

3.9. मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान :

उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण के उत्पादों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण कराने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता/पर्यावरण प्रमाणीकरण एवं एक्रीडिटेशन जैसेः आई.एस.ओ.14001, आई.एस.ओ. 22000, एच.ए.सी.सी.पी. सेनेट्री/ फाइटोसेनेट्री सर्टीफिकेशन हेतु फीस एण्ड टेस्टिंग चार्ज पर अतिरिक्त रूप से राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 0.50 लाख अनुदान प्रतिपूर्ति एक बार देय होगी। यह सुविधा उन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अनुमन्य होगी, जिनके द्वारा प्लान्ट, मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य पर न्यूनतम रू. 25 लाख का पूंजी निवेश किया गया हो।

3.10. पेटैन्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधान :

उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के अन्तर्गत पेटेन्ट/डिजाइन के पंजीकरण हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अधिकृत संगठनों/संस्थानों को अदा की गयी फीस का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 0.50 लाख अनुदान प्रतिपूर्ति एक बार देय होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि भारत/राज्य सरकार अथवा अन्य स्रोतों से इस कार्य हेतु प्राप्त अनुदान की धनराशि किसी भी दशा में कुल अनुमन्य लागत का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। साथ ही यह सुविधा उन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अनुमन्य होगी, जिनके द्वारा प्लान्ट, मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य पर न्यूनतम रू. 25 लाख का पूंजी निवेश किया गया हो।

3.11. बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन प्राविधान :

प्रदेश में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, जिनके द्वारा प्लान्ट, मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य पर न्यूनतम रू. 25 लाख का पूंजी निवेश किया गया हो, को बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन हेतु निम्नांकित रियायतें/अनुदान हेतु पात्र होंगीः-

(1) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012** में प्राविधानित निर्माताओं द्वारा देश के बाहर निर्यात करने हेतु एक्सपोर्ट हाउस के माध्यम से जो वस्तुएं विक्री की जाती हैं उन पर निर्माताओं को भी इनपुट टैक्स से सेटऑफ/रिफण्ड की सुविधा का प्राविधान किया जायेगा।

(2) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012** में प्राविधानित विभिन्न प्रकार के उद्योगों की निर्यात प्रोत्साहन समितियों के अधिक से अधिक कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित कराने का प्रयास किया जायेगा।

(3) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012** में प्राविधानित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रतिभागी उद्यमियों को राज्य सरकार द्वारा परिवहन लागत व मेला क्षेत्र किराये का 50 प्रतिशत वहन किये जाने व शेष 50 प्रतिशत सम्बन्धित उद्यमी/इकाई को वहन करने की योजना जारी रहेगी।

(4) **उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012** में प्राविधानित निर्यातकों की संस्थाओं

@BCL@00070AF5

को स्थानीय व राज्य स्तर पर आयोजित बैठकों में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

(5) **उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के अन्तर्गत** बाजार व्यवस्था में सुधार कर कृषकों को उनके उत्पाद का अधिकतम मूल्य उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु हॉफेड एवं सम्बद्ध सहकारी समितियों को सुदृढ़ कर संगठित विपणन व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जायेगा और विपणन प्रोत्साहन हेतु क्रेता-विक्रेता सम्मेलन (बायर-सेलर मीट) और मेलों के माध्यम से उपभोक्ताओं और कृषकों को सीधे सम्पर्क में लाया जायेगा।

(6) **उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के अन्तर्गत** उत्तर प्रदेश में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद को विदेश में विपणन के परीक्षण हेतु नमूना भेजने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 50,000 प्रति लाभार्थी अनुदान दिया जायेगा। यह अनुदान केवल एक देश एवं एक नमूना हेतु ही अनुमन्य होगा।

(7) **उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के अन्तर्गत** राज्य में उत्पादित उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु एयरपोर्ट/समुद्री पोर्ट तक उत्पाद परिवहन पर होने वाले वास्तविक व्यय का 25 प्रतिशत, रू. 1 लाख प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक 3 वर्ष तक अनुदान दिया जायेगा।

(8) **उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के अन्तर्गत** राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पाद की एफ.ओ.बी. मूल्य का 20 प्रतिशत, रू. 2 लाख प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक 3 वर्ष तक अनुदान दिया जायेगा।

(9) **उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के अन्तर्गत** क्षेत्रीय विशिष्टताओं के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उनके प्रसंस्कृत उत्पादों की ब्राण्डिंग को प्रोत्साहित करने हेतु व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू. 5 लाख एक बार अनुदान सुलभ कराया जायेगा।

(10) **उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के अन्तर्गत** प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानकों का व्यापक प्रसार किया जायेगा।

3.12. मानव संसाधन विकास के प्राविधान :

(1) **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत** प्रदेश के समस्त जनपदों में डिग्री/ डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट कोर्स चलाने हेतु पूर्व में स्थापित संस्थानों/विश्वविद्यालयों/राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/निगम/प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाएं आदि आधारभूत सुविधाएं यथा-आधुनिक पुस्तकालय, पायलेट प्लान्ट, प्रयोगशाला, इक्विपमेण्ट के मदों में होने वाले व्यय पर अधिकतम धनराशि रू.75 लाख की सीमा तक अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। संस्थान/प्रोमोटर द्वारा भवन, भूमि, स्टॉफ एवं अन्य सुविधाएं स्वयं अपने स्रोतों से वहन करनी होंगी।

(2) **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत** प्रदेश के समस्त जनपदों में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों (एफ0पी0टी0सी0) सिंगल प्रोडक्ट लाइन/मल्टी प्रोडक्ट लाइन की स्थापना हेतु अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। संस्थानों/विश्वविद्यालयों/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/निगम/ प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाएं आदि के लिए सिंगल प्रोडक्ट लाइन के लिए रू.4 लाख प्लान्ट मशीनरी एवं रू.2 लाख सीड कैपिटल/रिवाल्विंग फन्ड के रूप में तथा मल्टी प्रोडक्ट लाइन के लिए रू.11 लाख प्लान्ट मशीनरी एवं रू. 4 लाख सीड कैपिटल/रिवाल्विंग फन्ड के रूप में अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत** उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित करने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के संस्थान, विकास एवं अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद, उद्यमिता विकास के व्यावसायिक संगठन, राज्य सरकार के द्वारा गठित राज्य स्तरीय परामर्शी संगठन, औद्योगिक

@BCL@00070AF5

संगठन/एसोसिएशन और ऐसे प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0), जिनकी व्यावसायिक सक्षमता एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव हो, पात्र होंगे। इस कार्यक्रम के लिए रू0 2 लाख प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन किश्तों में अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे-केन्द्रीय फूड टेक्नालोजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर; डिफेन्स फूड रिसर्च लैब, मैसूर तथा राज्य एवं भारत सरकार के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों/महाविद्यालयों में उद्यमिता विकास हेतु विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा। इस प्रकार के 10 दिवसीय एवं 20 नव उद्यमियों/प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु सम्बन्धित संस्थान को रू0 1 लाख प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुदान की सुविधा सुलभ करायी जायेगी।

(5) **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत** प्रगतिशील कृषकों एवं नव उद्यमियों के लिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक दिवसीय जागरूकता अभियान के कार्यक्रम संचालित कराये जायेंगे, जिस पर रू.20 हजार प्रति कार्यक्रम व्यय किये जायेंगे।

3.13. प्रोत्साहनात्मक सुविधाएं :

(1) **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत** प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेमिनार/गोष्ठी का आयोजन प्रतिष्ठित औद्योगिक संगठन/एसोसिएशन, राज्य सरकार/शिक्षण संस्थान/जिला स्तरीय औद्योगिक संगठनों/निजी संस्थानों और ऐसे प्रतिष्ठित एन0जी0ओ0, जिनकी व्यावसायिक सक्षमता खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव हो, पात्र होंगे। इस कार्यक्रम के लिए 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 3 लाख प्रति कार्यक्रम दो किश्तों में अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत** प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अध्ययन/सर्वे का कार्यक्रम प्रतिष्ठित औद्योगिक संगठन/एसोसिएशन, फिक्की, सी0आई0आई0, एसोचैम, पी0एच0डी0 चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ए0आई0एफ0पी0ए0, राज्य सरकार/शिक्षण संस्थान/जिला स्तरीय औद्योगिक संगठनों/निजी संस्थानों और ऐसे प्रतिष्ठित एन0जी0ओ0, जिनकी व्यावसायिक सक्षमता खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अध्ययन एवं सर्वे करने का अनुभव हो, पात्र होंगे। इस कार्यक्रम के लिए 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 3 लाख प्रति कार्यक्रम दो किश्तों में अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत** प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी/मेले का आयोजन राज्य सरकार भारत सरकार की सम्बन्धित संस्थाओं यथा-एपीडा, सी0एफ0टी0आर0आई0, प्रतिष्ठित औद्योगिक संगठन/एसोसिएशन, फिक्की, सी0आई0आई0, एसोचैम, पी0एच0डी0 चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ए0आई0एफ0पी0ए0, राज्य सरकार/शिक्षण संस्थान/जिला स्तरीय औद्योगिक संगठनों/निजी संस्थानों और ऐसे प्रतिष्ठित एन0जी0ओ0, जिनकी व्यावसायिक सक्षमता खाद्य प्रसंस्करण आधारित प्रदर्शनी/मेले आयोजित करने का अनुभव हो के सहयोग से आयोजित किये जायेंगे।

(4) **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत** प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टडी टूर का आयोजन उद्यमियों, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार कराया जायेगा, जिससे प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की स्थापना में सहयोग प्रदान किया जा सकता है।

(5) **उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के अन्तर्गत बैंकेबुल प्रोजेक्ट्स की सुविधा :** उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण एवं उससे सम्बन्धित उद्यमों की स्थापना के लिए बैंकेबुल प्रोजेक्ट्स तैयार करने में सहायता प्रदान की जायेगी। यह सहायता, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 के अधीन गठित प्रोजेक्ट डेवेलपमेन्ट फैसिलिटेशन सेन्टर (पी.डी.

@BCL@00070AF5

एफ.सी.) के माध्यम से अथवा इम्पैनल्ड संस्थाओं के द्वारा सशुल्क तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार कराये जाने पर अनुमन्य होगी। प्रदेश में जिनके द्वारा प्लान्ट, मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य पर न्यूनतम रू. 25 लाख का पूंजी निवेश किया जायेगा, उन इकाइयों के लिए विस्तृत कार्ययोजना (डी.पी.आर.) तैयार कराने हेतु व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 5 लाख प्रति लाभार्थी अनुदान देय होगा। इस प्रकार तैयार डी. पी.आर. पर प्रमोटर को देय अनुदान को इकाई की स्थापना से लिंक किया जायेगा।

3.14. अन्य सुविधाएं :

(1) संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा कार्यरत संस्थानों का प्रभावी उपयोग :

(क) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में प्रत्येक जनपद/मण्डल स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों/कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण मिशन के लिए नामित नोडल संस्था, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय को नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मिशन निदेशालय बनाया जायेगा।

(ग) नामित नोडल संस्था उक्त कार्य के अलावा अन्य सभी स्रोतों जैसे-एपीडा, एन0एच0बी0, एन0एच0एम0, आयुष एवं अन्य संस्थाओं से मिलने वाली सहायता के लिए भी नोडल संस्था का कार्य करेगा और उद्यमियों को इनसे प्राप्त होनें वाली सहायता में सहयोग करेगा।

(2) वेयरहाउस में रखे सामान पर प्राप्ति-तन्त्र की स्थापना :

वेयरहाउस में रखे सामान पर प्राप्ति तंत्र की स्थापना कराये जाने हेतु वेयरहाउस एक्ट के अन्तर्गत उद्यमी द्वारा प्रत्यायन (एक्रीडिटेशन) की औपचारिकतायें पूर्ण करायी जायेंगी ताकि उनके द्वारा जारी रसीद के आधार पर ऋण की सुविधायें ली जा सकें।

(3) उ.प्र. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 में प्राविधानित ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति योजना- प्रदेश में ऐसी नई औद्योगिक इकाईयों को जिनके द्वारा 100 या इससे अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा उनके द्वारा श्रमिको के पक्ष में जमा किये गये ई.पी.एफ. की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षो बाद उससे अगले तीन वर्षों हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3.15. मेगा फूड पार्क की स्थापना :

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों/प्रमोटर्स को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार कराने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

@BCL@00070AF5

अध्याय 4. मानव संसाधन विकास

(1) खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के विकास के लिए कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता एक चुनौती के रूप में उभर रही है। उद्यमियों, प्रबन्धकों, तकनीकी विशेषज्ञों तथा दक्ष श्रमिकों को नवीनतम प्रसंस्करण तकनीक में प्रशिक्षित कराने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जायेंगे।

(2) राज्य सरकार, राज्य में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों, व्यावसायिक संस्थानों में खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा विपणन में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने को प्रोत्साहित करेगी। इन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं को खाद्य प्रसंस्करण मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से अनुमन्य सहायता प्रदान करायी जायेगी।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास एवं तकनीकी हस्तानान्तरण के साथ-साथ स्थानीय कच्चे माल के प्रसंस्करण हेतु निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(4) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु उद्यमिता विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, ढाबा, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट प्रशिक्षण, फूड हाईजीन एवं सेनीटेशन जागरूकता तथा केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी शोध संस्थान (सी.एफ.टी.आर.आई.) रक्षा खाद्य शोध प्रयोगशाला (डी.एफ.आर.एल.) एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ प्रशिक्षण आयोजित कराये जायेंगे।

(5) प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमों में गोष्ठियां, सेमिनार, प्रदर्शनी, अध्ययन सर्वेक्षण तथा अध्ययन भ्रमण आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

(6) एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा, ताकि नव उद्यमियों तथा प्रगतिशील कृषकों को खाद्य प्रसंस्करण के फार्म गेट लेबल पर लाभों से अवगत कराया जा सके।

@BCL@00070AF5

अध्याय 5. अनुसंधान एवं गुणवत्ता विकास

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की सहायता हेतु अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्रों द्वारा किये जाने वाले शोध एवं विकास कार्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(2) प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में आच्छादित उत्पादों के प्रोटोकाल विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(3) खाद्य प्रसंस्करण के उत्पादों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण कराने के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विश्लेषण सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी।

(4) प्रदेश में उत्पादित उत्पादों की क्षेत्रीय उपयुक्तता के आधार पर पेटेन्ट/डिजाइन के पंजीकरण हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अधिकृत संगठनों/संस्थानों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(5) क्षेत्रीय खाद्य शोध एवं विशलेषण प्रयोगशाला (आरफैक्क) लखनऊ को खाद्य अनुसंधान एवं गुणवत्ता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये सशक्त् किया जायेगा।

@BCL@00070AF5

अध्याय 6. बाजार विकास

6.1. बैकवर्ड-फारवर्ड लिंकेज :

किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाने तथा प्रसंस्करणकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसानों व उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रसंस्करण के अनुरूप उत्पादों की प्रत्यक्ष एवं निर्बाध आपूर्ति करायी जायेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए फारवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में कार्यरत छोटे एवं मध्यम दर्जे के उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार सुलभ कराने हेतु बाजार विस्तार कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

6.2. ब्राण्ड विकास प्रोत्साहन :

(1) प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के गुणवत्तायुक्त उत्पादों के ब्राण्ड विकसित किये जाने पर विशेष बल दिया जायेगा।

(2) फूड प्रोसेसिंग जोन में क्षेत्र विशेष के चिन्हित उत्पादों को क्षेत्रीय ब्राण्ड के रूप विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

6.3. वैश्वीय प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण :

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को पेटैन्ट एवं डिजाइन के पंजीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण (आईएसओ., हैसप, सेनेट्री/फाइटोसेनेट्री सर्टीफिकेशन फीस एण्ड टेस्टिंग चार्ज) के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(1) खाद्य पदार्थो में गुणवत्ता व मानकीकरण के लिए जागरूकता उत्पन्न की जाएगी। निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करायी जाएगी, जिन्हें संचालित योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान सुलभ कराया जायेगा।

(2) वर्तमान में उपभोक्ताओं को स्वच्छ खाद्य उत्पाद एवं मिलावट आदि को रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथोरिटी ऑफ इण्डिया (एफ.एस.एस.ए.आई) का गठन किया गया है जिसके क्रम में खाद्य प्रसंस्करण आधारित इकाईयों, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फास्ट फूड कॉर्नर आदि क्षेत्र की इकाईयों को जागरूक करने का प्रयास किया जायेगा।

6.4. ई-गर्वेनेन्स :

उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर से सम्बन्धित आधारभूत सूचनाओं की सुलभता हेतु ई-पोर्टल प्रारम्भ करेगी। ई-पोर्टल पर उद्योग स्थापना हेतु आधारभूत सूचनाओं के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए उपलब्ध अनुदान, आवेदन की प्रक्रिया तथा आवेदन के प्रारूप आदि सूचनायें प्रदर्शित करायी जायेंगी। इसके साथ ही उत्पादन एवं विपणन संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने, उनका तुलनात्मक परीक्षण व विश्लेषण करने और उनका आदान-प्रदान करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

@BCL@00070AF5

अध्याय 7. नीति का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

7.1. राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी :

नीति के अन्तर्गत प्राविधानों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी गठित की जायेगी। विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य प्रसंस्करण इसके संयोजक सचिव होंगे। उद्योग संघों के प्रतिनिधि इसके आमंत्रित सदस्य होंगे। कमेटी की बैठक प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार आहूत की जायेगी।

7.2. मण्डल स्तरीय अनुश्रवण कमेटी :

मण्डल स्तर पर नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय अनुश्रवण कमेटी गठित की जायेगी, जिसमें मण्डल के सभी जनपदों के जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारियों के साथ-साथ सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण सदस्य होंगे। खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रधानाचार्य/खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे।

7.3. नोडल एजेन्सी/नोडल विभाग :

(1) खाद्य प्रसंस्करण विभाग, इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा।

(2) खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी होगा।

(3) नीति के अन्तर्गत उपलब्ध रियायतों, सुविधाओं, अनुदानों तथा उपादानों को प्राप्त करने के लिए प्रारूप विकसित किये जायेंगे, जिसे नोडल विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय कर निरूपित किया जायेगा।

(4) निर्धारित प्रारूप/शुल्क/अभिलेखों के साथ आवेदन मण्डल स्तर पर प्रधानाचार्य/खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण विभाग अथवा राज्य स्तर पर निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण को प्रस्तुत किये जायेंगे।

7.4. आवेदनों/परियोजनाओं का परीक्षणः

(1) आवेदनों/परियोजना प्रस्तावों के परीक्षण/संवीक्षण/मूल्यांकन की कार्यवाही राज्य स्तर पर नोडल विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार इम्पैनल्ड संस्थाओं से करायी जायेगी।

(2) प्राप्त आवेदनों/परियोजना प्रस्तावों के इवैल्युएशन हेतु राज्य स्तर पर 'तकनीकी समिति' एवं 'वित्तीय समिति' गठित की जायेगी। इन समितियों द्वारा संस्तुत आवेदनों/परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति एवं धनावंटन राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधानित समिति/संस्था द्वारा की जायेगी। स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण क्षेत्रीय स्तर पर मण्डल स्तरीय अनुश्रवण कमेटी तथा राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी द्वारा किया जायेगा।

7.5. प्रकीर्ण :

(1) इस नीति के किसी प्राविधान की व्याख्या अथवा उसके बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी सक्षम होगी।

(2) सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक शासनादेश एवं नियमावली निर्गत करते हुए समयबद्ध रूप से नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

7.6 सामान्य :

औद्योगिक अवस्थापना, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति में रेखांकित सभी रियायतें और सभी सुविधायें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी अनुमन्य होंगी।

ooooo

@BCL@00070AF5

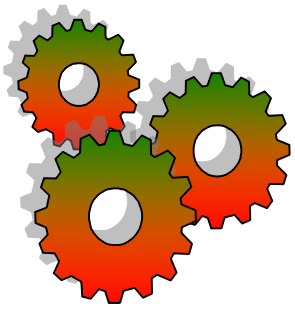

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012

खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश।

@BCL@00070AF5